न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व अपील संख्या :- 11/2015

निर्णय दिनॉक :- 16.02.2021

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भगवानलाल, मादुलाल, पुरणमल पिता-चतुरभुज जाति-माली, नि.-आकोला तहसील- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. चुन्नी बाई, मु. धापू बाई, मु. रुकमणबाई पिता-चतरभुज नि.- आकोला (भूपालसागर) 2. सुखलाल, शिवलाल, रतनलाल, मथुरालाल पिसरान किशना जाति-माली, नि.- आकोला 3. मु. लाली, मु. देऊ पिसरान जयचन्द्र जाति - माली नि.- आकोला (भूपालसागर)

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

वकील अपीलांट ने एक राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:-

1. यह है कि ग्राम आकोला में चतरभुज, किशना, लाली एवं देवली पिता श्री जयचन्द्र माली के सह खातेदारी की आराजियात का विभाजन सहायक भू-अभिलेख अधिकारी ने कर दिया। सह खातेदारान मे से चतरभुज एवं किशना का देहान्त हो गया है जिससे चतरभुज के वारिसान अपीलांट संख्या- 1, 2 व 3 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या- 1, 2 व 3 है। सह खातेदार किशना के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या- 4, 5, 6, 7 है।

2. यह है कि सह खातेदारी की भूमि का विभाजन करने का अधिकार पैमाईश विभाग को नहीं है फिर भी सह खातेदारों की सहमति के आधार पर विभाजन किया गया सहायक भू-अभिलेख द्वारा निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत है।

3. यह है कि सहखातेदार लाली व देऊ का हिस्सा बिना किसी आधार

— लगातार —

A पठित्य
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.22 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एवं अधिकार के पैमाईश विभाग ने तर्क कर दिया जबकि इस बाबत कोई पंजीकृत हस्तांतरण का दस्तावेज नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर खसरा परिशोधन क्रमांक-21 पर पारित आदेश दिनांक 27.06.1984 को निरस्त फरमा उक्त परिशोधन पत्र में अंकित आराजियात को पुनः सह खातेदारी में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलांट दर्ज राजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये गये। बाद तामिल रेस्पोडेन्ट्स संख्या-1,2,3,4 व 6 गैर हाजिर रहे, जिससे इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5,7,8 व 9 के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई दाद/सहायता नही चाहते है अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु रखी गयी। रेस्पोडेन्ट्स के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ सहायक भू अभिलेख अधिकारी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी तरीके से सह खातेदारी की आराजियात का विभाजन कर दिया, जो विधि सम्मत नही है। पैमाईश विभाग ने बिना किसी पंजीकृत हस्तांतरण के दस्तावेज के सह खातेदार लाली व देऊ का हिस्सा तर्क कर दिया जो कि विधि विरुद्ध है अतः खसरा परिशोधन क्रमांक-21 पर पारित आदेश दिनांक 27.06.84 को निरस्त फरमा कर वादग्रस्त आराजियात को पुनः सह खातेदारी में दर्ज किया जावे।

वकील अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में खसरा परिशोधन की प्रतिलिपि पेश की गयी। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अपीलांट वकील की बहस सुनी गयी। खसरा परिशोधन पत्र (विभाजन से संबंधित) संवत २०४१ के पृष्ठ क्रमांक-907 से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट-1,2,3 के पिता व रेस्पोडेन्टस सं. 1,2,3 के पिता चतरभुज, रेस्पोडेन्ट्स-4,5,6,7 के पिता किशना तथा हीरा व डालू ने जरिये ... आपसी रजामंदी व उस समय पर मौके पर ... के मुताबिक बंटवारा किया था तथा इन सभी सह खातेदारों के सहमति के हस्ताक्षर भी खसरा परिशोधन पत्र पर अंकित है, इसके साथ ही स्वयं अपीलांट ने भी स्वीकार किया है कि 27.06.84 को पारित परिशोधन पत्र अपीलांट

— लगातार —

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.22 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजों द्वारा सहमति से पारित किया गया। तब से लेकर आद्दिनॉक तक पूर्ववत बंटवाड़ा मुताबिक अपीलांट व रेस्पोडेन्टस काबिज काश्त है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद भी चलने योग्य नहीं है क्योंकि लगभग 30 वर्षों बाद अपीलांट द्वारा अपील की गयी, जबकि अपीलांट के पिता ने सहमति से 27.06.1984 को बंटवाड़ा अमल दरामद करवाया था। अपीलांट द्वारा अपील में की गयी देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है अतः प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून म्याद भी चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही लगभग 30 वर्षों से अपीलांट व रेस्पोडेन्टस व उनके वारिसान कब्जा-काश्त के अनुसार वर्तमान में भी काबिज है। अपीलांट यदि उक्त खसरा परिशोधन-पत्र में दर्शाये गये सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के सहमति के बंटवाड़े को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन, अपीलांट बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/02/2021

सुखाराम पिण्डेल (RAS)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.22 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner